मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
सामान्य से पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न 1 इस छात्रवृति योजना की पात्रता शर्तें क्या हैं ?

2013–14 सत्र में प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति योजना की मूल शर्तें निम्नानुसार हैं :–

- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए ।
- अभ्यर्थी ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उत्तीर्ण कर वरीयता सूची में प्रथम एक लाख विद्यार्थियों में स्थान प्राप्त किया हो ।
- अभ्यर्थी के परिवार की आय रूपये 2,50,000/– (अंकेन दो लाख पचास हजार) तक हो तथा अभ्यर्थी को कोई अन्य छात्रवृति नहीं मिल रही हो ।

प्रश्न 2 मैं तकनीकी महाविद्यालय में अध्ययनरत हूॅ । क्या मुझे यह छात्रवृति मिल सकती है ?

उत्तर हां, यह छात्रवृति राजस्थान के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी लागू हैं । यदि आप आवश्यक शर्तें पूर्ण करते है तो आपको यह छात्रवृति देय है ।

प्रश्न 3 मैंने राजस्थान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है। क्या मैं इस छात्रवृति का पात्र हूँ ?

उत्तर नहीं। यह छात्रवृति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु है।

प्रश्न 4 मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 2012 में उच्च अंकों से परीक्षा पास कर एन्ट्रेस परीक्षा की तैयारी के लिए 'ड्रॉप' कर कोचिंग प्राप्त कर रहा हूँ। क्या मुझे यह छात्रवृति मिलेगी ?

उत्तर नहीं। यह छात्रवृति उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थान में **नियमित** विद्यार्थी को देय है।

प्रश्न 5 मैं सत्र 2012–13 में इस छात्रवृति का पात्र था परन्तु किन्हीं कारणों से मुझे यह छात्रवृति नहीं मिल पाई। मैं छात्रवृति की सभी शर्तें पूरी करता हूँ। क्या मुझे यह छात्रवृति मिल सकती है ?

उत्तर हाँ। यदि आप छात्रवृति की समस्त शर्तें पूर्ण करते हैं तो आपको यह छात्रवृति इस सत्र में मिल सकती है। प्रथम वर्ष की छात्रवृति आपको नियमानुसार अब नहीं मिलेगी ।

प्रश्न 6 मैं इस छात्रवृति की समस्त शर्तें पूर्ण करता हूँ तथा छात्रावास में रहकर उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हूँ। क्या मुझे छात्रावास शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा ?

उत्तर इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 10 माह के लिए 500रु प्रतिमाह की दर से *कुल 5000रु वार्षिक* छात्रवृति ही देय है। छात्रावास शुल्क का पुनर्भरण इस योजना के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 7 मुझे सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की एक छात्रवृति प्राप्त हो रही है। क्या मैं इस छात्रवृति के साथ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति भी प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर नहीं। आप एक बार में एक छात्रवृति ही प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 8 छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया क्या है ? मैं कहां आवेदन करूं ?

उत्तर छात्रवृति का आवेदन प्रपत्र कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://dce.rajasthan.gov.in अथवा http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसे भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर उस महाविद्यालय में जमा करवाएं जहां आप अध्ययनरत हैं। आवेदन को जिला नोडल अधिकारी तक अग्रेषित करने की कार्यवाही आपके संस्थान के प्राचार्य द्वारा की जानी है।

प्रश्न 9 क्या यह छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बैंक में खाता खुलवाना तथा आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य है ?

उत्तर हां। बैंक खाता तथा आधार नम्बर अनिवार्य शर्तें है ।

प्रश्न 10 मुझे सत्र 2012–13 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति प्राप्त हुई है। क्या मुझे इस वर्ष भी यह छात्रवृति मिलेगी? इस वर्ष के लिए पात्रता शर्त क्या होगी ?

उत्तर यदि पिछले वर्ष आपको यह छात्रवृति प्राप्त हुई है तथा इस वर्ष भी आप मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हैं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं तो आप छात्रवृति प्राप्त करने के पात्र हैं। इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में नवीनीकरण हेतु आवेदन करें। नवीनीकरण आवेदन हेतु महाविद्यालय में सम्पर्क करें ।

प्रश्न 11 मुझे पिछले वर्ष 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति प्राप्त हुई है। इस बार मुझे स्नातक भाग प्रथम में कम अंक प्राप्त हुए हैं। क्या मुझे यह छात्रवृति इस वर्ष कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने के कारण नहीं दी जायेगी ?

उत्तर पात्रता हेतु प्राप्तांकों की शर्त सीनियर सैकण्डरी परीक्षा हेतु है। आगामी वर्षों हेतु अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने पर आप छात्रवृति प्राप्त करने के हकदार हैं।

प्रश्न 12 मैं अजमेर जिले का मूल निवासी हूँ तथा जयपुर जिले में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ । मुझे छात्रवृति हेतु किस जिले में आवेदन करना होगा ?

उत्तर आप जिस जिले के महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत् है, उसी जिले के महाविद्यालय में छात्रवृति हेतु आवेदन करेंगे ।

प्रश्न 13 क्या मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना स्वयंपाठी/दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए है?

उत्तर जी नहीं ।

प्रश्न 14 मैंने वर्ष 2011 में सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा 62 प्रतिशत से उत्तीर्ण की । सत्र 2012—13 में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया । अब मैं सत्र 2013—14 में महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत् हूँ । क्या मुझे यह छात्रवृति देय होगी ?

उत्तर जी नहीं । छात्रवृति देय नहीं होगी । यह शर्तें पूर्ण नहीं होने से देय नहीं है।